

आज ही जारी हो  
अति आवश्यक/स्मरण संदेश

वितन्तु संदेश

प्रेषित:-

समस्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान।  
समस्त प्रभारी/चौकी/यूनिट/कार्यालय/शाखा भ्रनिब्यूरो राजस्थान।

प्रेषक:- पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक:- एफ.3(1)भ्रनिब्यूरो/संस्थापन/अनु-11/2018/87 05-08 दिनांक 17.07.2018

विषय:- राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड-पे) रूल्स 2017 में  
पुनर्विकल्प पत्र बाबत ।

वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.15(85)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सहवन से गलत विकल्प प्रस्तुत कर दिया है अथवा निर्धारित समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है को उक्त अधिसूचना के द्वारा दिनांक 26.07.2018 तक पुनर्विकल्प का अवसर प्रदान किया गया है।


अतः आपके अधीनस्थ पदस्थापित जिन कार्मिकों का अभी तक भी पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है उन्हें ब्यूरो मुख्यालय पर वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी से संपर्क कर दिनांक 26.07.2018 तक अपना संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करे ।

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के उपरान्त जिन कार्मिकों को एसीपी/पदोन्नति होने के फलस्वरूप उन कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.07.2018 एसीपी/पदोन्नति उपरान्त का विकल्प प्रस्तुत किया है यह विकल्प नियमों में निहित प्रावधानुसार स्वीकार्य नहीं है अतः ऐसे कार्मिकों को भी पुनर्विकल्प प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करे अन्यथा गलत विकल्प प्रस्तुत करने से होने वाले नुकसान हेतु वे स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।

आपके अधीनस्थ पदस्थापित कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचित/पाबन्द करने का श्रम करे आपके अधीनस्थ पदस्थापित में से कोई कार्मिक उक्तानुसार सूचित होने अथवा निर्धारित समयावधि में सही विकल्प प्रस्तुत करने से वंचित रहता है तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी।

संलग्न:- वित्त विभाग अधिसूचना


दिनांक 27.04.2018

  
(तेजस्वनी गौतम)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रभारी कम्प्यूटर सैल भ्रनिब्यूरो जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
- 2 प्रभारी प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रनिब्यूरो जयपुर को भेजकर लेख है कि वितन्तु संदेश/वित्त विभाग की अधिसूचना सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करे ।
- 3 समस्त प्रभारी/चौकी/यूनिट/शाखा/कार्यालय को समान कार्रवाई हेतु।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 15(85)FD/Rules/2017


Jaipur, dated: 27 APR 2018

Subject:- Permission for exercise of option / re-option under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.

The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 have been promulgated with effect from 01.10.2017 vide Finance Department Notification No. F.15(1)FD(Rules)/2017 dated 30.10.2017. These rules have further been modified and made effective w.e.f. 01.01.2016 instead of 01.10.2017 vide FD Notification of even number dated 09.12.2017. The Rules 8 and 9 of these rules provide for exercise of option within three months from 09.12.2017.

It has been brought to the notice of the Government that some of the Government servants could not exercise option within the time limit prescribed under Rule 9(1) and in terms of provisions contained in sub-rule (3)(i) and (4) of Rule 9, they were deemed to have exercised option for revised pay scales 2017 w.e.f. 01.01.2016, which might have resulted in a recurring disadvantageous position. Likewise some of the Government servants have exercised option incorrectly without understanding the proper implications of the rules governing fixation of pay. The exercise of such incorrect option has put them to recurring financial loss.

The matter has been considered sympathetically and it has been decided that all Government servants may be permitted to exercise option / re-option under Rule 8 and 9 of the aforesaid rules within three months from the date of issue of this Memorandum.

  
(Manju Rajpal)  
Secretary, Finance (Budget)